**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1806**

**जिसका उत्तर 30 जुलाई, 2025 को दिया जाना है**

**सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों द्वारा हरित पहल**

**1806. श्री वामसि कृष्णा गद्दामः**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों में पर्यावरण पुनःबहाली और हरित पहलों के लिए कुल कितना आवंटन किया गया है और पेड्डापल्ली सहित तेलंगाना में खनन कार्यों के लिए कितनी विशिष्ट निधि प्रदान की गई है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-30 के लिए कोयला सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा निर्धारित 15,350 हेक्टेयर वृक्षारोपण लक्ष्य की वर्तमान स्थिति क्या है और क्षेत्र-वार प्रगति क्या है;

(ग) पेड्डापल्ली जैसे गहन खनन वाले निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, कोयला सार्वजनिक उपक्रमों के बीच हरित निधि आवंटन के लिए स्थापित मानदंड क्या हैं;

(घ) कोयला सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विशेष रूप से तेलंगाना में वनाच्छादित गैर-वन कोयला-रहित भूमि के संबंध में प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) कोयला खनन क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा हरित निधि के उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन समय-सीमा के लिए निगरानी तंत्र क्या है?

**उत्तर**

**कोयला एवं खान मंत्री**

**(श्री जी. किशन रेड्डी)**

**(क) :** कोयला खनन क्षेत्रों में खनन प्रचालनों अथवा पर्यावरणीय पुनरूद्धार और हरित पहलों के लिए भारत सरकार की ओर से कोई निधि या बजट आवंटन नहीं किया गया है। हालाँकि, कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), अर्थात् कोल इंडिया लिमिटेड

(सीआईएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), खनन प्रचालनों और पर्यावरणीय पुनरूद्धार और हरित पहलों के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से धनराशि खर्च करते हैं, जिसमें खान पुनरूद्धार, वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी-पुनरूद्धार उपाय शामिल हैं। ये आवंटन संबंधित परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं (ईएमपी) के अनुरूप अनुमोदित खान बंद करने की योजनाओं और पर्यावरण प्रबंधन निधि के अनुसार सांविधिक रूप से खान बंद करने की निधियों के हिस्से के रूप में किए जाते हैं। एससीसीएल अनुमोदित परियोजना-विशिष्ट खान बंद करने संबंधी योजनाओं और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के अनुसार तेलंगाना में अपनी परियोजनाओं के लिए धनराशि खर्च करता है, जिसमें पेद्दापल्ली जिले में स्थित परियोजनाएं भी शामिल हैं।

**(ख) :** कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 की अवधि के लिए 15,350 हेक्टेयर का संचयी वृक्षारोपण लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कोयला और लिग्नाइट खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास लगभग 2,459 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उपलब्धियों सहित वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 के लिए वृक्षारोपण के वर्ष-वार लक्ष्य निम्न तालिका में दिए गए हैं:

| वृक्षारोपण के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि (हेक्टेयर में) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वित्त वर्ष | लक्ष्य | | | | उपलब्धि | | | |
| | सीआईएल | एनएलसी आईएल | एससीसी एल | कुल | सीआईएल | एनएलसी आईएल | एससीसी एल | कुल |
| 2024-25 | 1,856 | 194 | 550 | 2,600 | 1,713 | 195 | 551 | 2,459 |
| 2025-26 | 2,097 | 197 | 506 | 2,800 | - | - | - | - |
| 2026-27 | 2,386 | 205 | 509 | 3,100 | - | - | - | - |
| 2027-28 | 2,585 | 206 | 509 | 3,300 | - | - | - | - |
| 2028-29 | 2,831 | 206 | 513 | 3,550 | - | - | - | - |
| कुल | 11,755 | 1,008 | 2,587 | 15,350 | - | - | - | - |

**(ग) :** कोयला खनन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा कोई हरित निधि या स्कीम स्थापित नहीं की गई है।

**(घ) :** तेलंगाना में एससीसीएल सहित कोयला और लिग्नाइट पीएसयू, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा दिनांक 24.01.2023 को जारी दिशा-निर्देशों में उल्लिखित प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण (एसीए) मानदंडों के अनुपालन में, आगामी कोयला खनन परियोजनाओं में प्रतिपूरक वनीकरण के रूप में उपयोग के लिए अपनी खानों में वनाच्छादित गैर-वन भूमि को चिन्हित कर रहे हैं।

**(ङ.) :** उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता है। हालाँकि, कोयला मंत्रालय कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनरूद्धार और हरित पहलों की नियमित निगरानी करता है। इसके अलावा, ईआईए की समय-सीमा ईआईए अधिसूचना, 2006 और उसके बाद के संशोधनों द्वारा अभिशासित होती है।

****